

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2096/2010/जयपुर

मैसर्स कैस्ट्रोल इण्डिया लि., डबोक, सीकर रोड,
जरिये आदर्श मार्केटिंग, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :29.04.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स-द्वितीय), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जो अपील संख्या 56/अपील्स-II/आरएसटी/जयपुर/बी/2009-10 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, उदयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 58 के तहत आरोपित अनुवर्ती ब्याज रु. 2,35,874/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा विक्रय कर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत दिनांक 28.06.2000 को अभियोग दर्ज कर, विक्रय कर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रु.1,72,051/- आरोपित कर, शास्ति आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 16.09.2004 के प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। उक्त आदेश दिनांक 16.09.2004 के विरुद्ध राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की समन्वयपीठ द्वारा दिनांक 16.12.2005 को राजस्व की अपील अस्वीकार कर, अपीलीय आदेश दिनांक 16.09.2004 की पुष्टि की गयी। तत्पश्चात्, विभाग द्वारा माननीय

लगातार.....2

राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 स.वा.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम् मै0 देव ट्रेडिंग कं0 के निर्णय दिनांक 05.09.07 द्वारा उक्त अपील प्रकरण उपायुक्त (अपील्स—चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर को उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज व मैसर्स बजाज इलैक्ट्रिकल्स में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। उपायुक्त (अपील्स—चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा उक्त प्रकरण प्राप्त होने पर, उपायुक्त (अपील्स—चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 26.11.2008 के जरिये प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 04.04.2009 के कायम की गयी शास्ति की राशि को पुनर्स्थापित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 26.11.2008 की पालना में प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 58 के तहत आदेश दिनांक 08.04.2009 पारित कर, दिनांक 01.08.2000 से दिनांक 31.03.2009 तक शास्ति की राशि बकाया होना अवधारित कर, ब्याज रु.2,35,874/- आरोपित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 08.04.2009 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 58 के तहत निर्धारित कुल ब्याज राशि रु.2,35,874/- को अपास्त कर, जरिये आदेश दिनांक 20.08.2010 के प्रकरण को प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम धारा 58 के तहत जरिये आदेश दिनांक 08.04.2009 जो ब्याज का आरोपण दिनांक 01.08.2000 से दिनांक 31.03.2009 के लिये आरोपित किया गया है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति रु.1,72,051/- की गयी थी वह दिनांक 16.09.2004 से दिनांक 26.11.2008 तक की अवधि के दौरान माननीय न्यायालयों के द्वारा पारित किये गये विभिन्न आदेशों के प्रकाश में अस्तित्व में ही नहीं थी। कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 स.वा. क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम् मै0 देव ट्रेडिंग कं0 के निर्णय दिनांक

05.09.07 के आलोक में, उपायुक्त (अपील्स—चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 26.11.2008 के मूल शास्ति आदेश दिनांक 04.07.2000 के आरोपित शास्ति को बहाल किया गया था। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.2009 के आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित किया गया था। अतः अनुवर्ती ब्याज का आरोपण दिनांक 16.09.2004 से दिनांक 26.11.2008 तक किसी भी रूप से वसूली योग्य नहीं है। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त राशि को अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरण में ब्याज की गणना हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जो उचित नहीं है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में विद्वान् अभिभाषक द्वारा माननीय तमिलनाडु उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स मॉर्डन नीड होम अप्लॉयन्सेज बनाम डिप्यूटी कर्मिशयल टैक्स ऑफिसर, कुम्बाकोनम निर्णय दिनांक 18.01.1998, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 1964—(052)—आईटीआर/0538 को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप—राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस संबंध में निर्णय हेतु विक्रय कर अधिनियम धारा 58 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:—

अधिनियम की धारा 58.— **Interest on failure to pay tax or other sum payable.** — (1) Where a dealer or a person commits a default in making the payment of any amount of tax leviable or payable or any amount of tax, fee, interest or penalty assessed or determined or of any amount or demand otherwise payable, within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, such dealer or person shall be liable to pay interest on such amount at the rate of two percent per month for the period starting from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

(2) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 70, interest under sub-section (1) shall be calculated-

(a) at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and

(b) on payment including the adjustment of a demand in full.

(3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.

7. उपर्युक्त वर्णित विधिक प्रावधानों एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, यह पीठ यह अनुभव करती है कि चूंकि अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति जो जरिये आदेश के दिनांक 04.07.2000 को आरोपित की गयी थी, को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 स.वा.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम् मै0 देव ट्रेडिंग कं0 के निर्णय दिनांक 05.09.07 के आलोक में, उपायुक्त (अपील्स-चतुर्थ) वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 26.11.2008 के आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.07.2000 से दिनांक 08.04.2009 तक उपर्युक्तानुसार वर्णित शास्ति की मांग राशि अस्तित्व में नहीं होने के कारण वसूली योग्य नहीं थी। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि को अपास्त कर, इस संबंध में दिनांक 16.09.2004 से दिनांक 26.11.2008 तक की अवधि को छोड़कर, ब्याज की गणना हेतु प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने संबंधी पारित आदेश समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. -घट-तृतीय, बनाम् मैसर्स आनन्द गम प्रोडक्ट्स (2005) 22 एस.टी.टी. 73 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या-183/2008/बारां निर्णय दिनांक 16.12.2013 के आलोक में, विधिसम्मत नहीं है। फलस्वरूप, इस संबंध में निर्धारण अधिकारी व अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।

28.4.2015
(मदन लाल)
सदस्य